Bill No. 3 of 2011

THE RAJASTHAN LAND REFORMS AND RESUMPTION OF JAGIRS (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:–

1. Short title and commencement.–(1) This Act may be called the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 6 of 1952.–For the existing section 19 of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952 (Act No. 6 of 1952), the following shall be substituted , namely:–

"**19. Land to be allotted as Khudkasht.–**Only the land situated within Stage-II of the Indira Gandhi Nahar Pariyojana shall be allotted as Khudkasht under this Chapter.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The priority for the allotment of Khudkasht land to the Ex-jagirdars has been prescribed in sub-section (1) of section 19 of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952. As per the priorities prescribed by this sub-section culturable unoccupied land within the jagir or lands in the vicinity of the village or villages in which the jagir lands of the jagirdar are situate are to be allotted and the land can be allotted elsewhere only if lands are not available within the jagir or in the vicinity of the village or villages in which the jagir lands of the concerned jagirdar are situated. These priorities are not practicable in the present circumstances because adequate siway chak lands are not available in most of the districts for this purpose. Whatever siway chak lands are now available with the State Government are required for the use of the State Government and for various public purposes. Therefore, the State Government had taken a decision in 2002 that the khudkasht land should be allotted only in Stage-II of the Indira Gandhi Nahar Pariyojana. Accordingly, land has already been reserved for this purpose in that area and a circular was issued on 22-11-2002 directing that henceforth all such lands should be allotted only from out of the lands which have been reserved for this purpose in Stage-II of the Indira Gandhi Nahar Pariyojana. However, keeping in view the fact that the priority of land for allotment of Khudkasht to the Ex-jagirdars has been prescribed in sub-section (1) of section 19 of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952, it is necessary to amend section 19 to provide that khudkasht land shall be allotted only in Stage–II of the Indira Gandhi Nahar Pariyojana.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

हेमाराम चौधरी,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN LAND REFORMS AND RESUMPTION OF JAGIRS ACT, 1952
(Act No. 6 of 1952)

XX XX XX XX

19. Categories of land that may be allotted as Khudkasht.–(1) The following categories of land only may, if available, be allotted as khudkasht under this Chapter in the order mentioned below, namely:–

(i) land surrendered by tenants;
(ii) land abandoned by tenants;
(iii) land which was under the personal cultivation of the jagirdar for a continuous period of five years immediately preceding the agricultural year 1948-49 and which during or after that year was given on lease for a fixed term and such lease would have terminated before the date of the application under section 14 but for the provisions of the Rajasthan (Protection of Tenants) Ordinance, 1949, unless Khatedari rights have accrued to the tenant under any law during the term of such lease;
(iv) culturable unoccupied land within the jagir;
(v) land of the nature specified in clauses (i), (ii) or (iv) above in the vicinity of the village or villages in which the jagir lands of the jagirdar are situate;
(vi) land commanded by the Bhakra or Chambal Project or by the Jawai Bund or by any other irrigation project provided that the allotment of such land as Khudkasht shall be on such concessional terms and conditions as may be prescribed;

(vii) any culturable unoccupied land, other than jagir land, which in the opinion of the Collector is not required as pasture land or as land set apart for the collection of drinking water in any tank for the villages surrounding it.

(2) Where no land of any of the categories specified in sub-section (1) is available, the application for allotment of khudkasht shall be rejected.

XX XX XX XX

(अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2011 का विधेयक सं. 3

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, **1952** को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) अधिनियम, **2011** है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1952 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 क़ी धारा 19 का संशोधन.-राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, **1952 (1952** का अधिनियम सं. **6)** क़ी विद्यमान धारा **19** के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> **^^**19. **खुदकाश्त के रूप में आबंटित की जाने वाली भूमि.-**इस अध्याय के अधीन केवल इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रक्रम-II के भीतर-भीतर स्थित भूमि ही खुदकाश्त के रूप में आबंटित की जायेगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, **1952** की धारा **19** की उप-धारा (**1**) में भूतपूर्व-जागीरदारों को खुदकाश्त भूमि के आबंटन की प्राथमिकता विहित की गयी है। इस उप-धारा द्वारा विहित प्राथमिकताओं के अनुसार जागीर या ऐसे ग्राम या ग्रामों, जिनमें जागीरदार की जागीर भूमियां स्थित हैं, के पड़ोस की खेती करने योग्य अधिभोग विहीन भूमि आबंटित की जानी है और अन्यत्र भूमि केवल तभी आबंटित की जा सकती है जब जागीर या ऐसे ग्राम या ग्रामों जिनमें जागीरदार की भूमियां स्थित हैं, के पड़ोस में भूमियां उपलब्ध न हों। ये प्राथमिकताएं वर्तमान परिस्थितियों में व्यावहारिक नहीं हैं क्योंकि अधिकांश जिलों में इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सिवाय चक भूमियां उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकार के पास वर्तमान में जो भी सिवाय चक भूमियां उपलब्ध हैं, उनकी राज्य सरकार के उपयोग के लिए और विभिन्न लोक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है। इसलिए सन् 2002 में राज्य सरकार ने यह विनिश्चय किया था कि खुदकाश्त भूमि केवल इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रक्रम-II में ही आबंटित की जानी चाहिए। तदनुसार, उस क्षेत्र में इस प्रयोजन के लिए पहले से ही भूमि आरक्षित कर दी गयी है, दिनांक 22-11-2002 को यह निर्देशित करते हुए एक परिपत्र भी जारी किया गया था कि अब से ऐसी समस्त भूमियां केवल ऐसी भूमियों में से ही आबंटित की जायेंगी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रक्रम-II में इस प्रयोजन के लिए आरक्षित की गयी हैं। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भूतपूर्व-जागीरदारों को खुदकाश्त भूमि के आबंटन की प्राथमिकता राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 19 की उप-धारा (1) में विहित की गयी है, यह उपबंध करने के लिए कि खुदकाश्त भूमि केवल इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रक्रम-II में ही आबंटित की जायेगी, धारा **19** को संशोधित करना आवश्यक है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

हेमाराम चौधरी,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952
(1952 का अधिनियम सं. 6) से लिये गये उद्धरण

xx xx xx xx xx

19. भूमियों के प्रवर्ग जो खुदकाश्त के रूप में आवन्टित किये जा सकेंगे.-(1) इस अध्याय के अधीन केवल निम्नांकित प्रवर्ग की भूमियां ही, यदि उपलब्ध हों, नीचे वर्णित क्रम में खुदकाश्त के रूप में आवन्टित की जा सकेंगी, अर्थात्:-

¼i½ काश्तकारों द्वारा अभ्यर्पित भूमि,

(ii) काश्तकारों द्वारा परित्यक्त भूमि,

(iii) वह भूमि जो कृषि वर्ष 1948-49 के ठीक पांच वर्ष तक निरन्तर स्वयं जागीरदार द्वारा जोती गई थी जो उक्त वर्ष के दौरान या उसके पश्चात् किसी नियत अवधि के लिये पट्टे पर दे दी गई थी और ऐसा पट्टा धारा 14 के अधीन आवेदन-पत्र देने की तारीख से पहले समाप्त हो गया होता यदि राजस्थान (काश्तकारों का संरक्षण) अध्यादेश, 1949 के उपबन्ध नहीं होते, जब तक कि ऐसे पट्टे की अवधि के दौरान काश्तकार को किसी भी विधि के अधीन खातेदारी अधिकार प्रोदभूत न हो गये हों,

(iv) जागीर के अन्दर खेती करने योग्य अधिभोग विहीन भूमि,

(v) उस गांव या उन गांवों, जिनमें जागीरदार की जागीर भूमियां स्थित हैं, के पड़ौस में ऊपर खण्ड **(i), (ii)** या **(iv)** में विनिर्दिष्ट प्रकार की भूमि,

(vi) भाकरा या चम्बल परियोजना अथवा जवाई बांध या किसी अन्य सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित भूमि परन्तु ऐसी भूमि, का खुदकाश्त के रूप में आबण्टन ऐसे रियायती निर्बन्धनों और शर्तों पर होगा जो विहित की जायें,

(vii) जागीर भूमि से भिन्न, कोई भी खेती करने योग्य अधिभोग विहीन भूमि, जो कलेक्टर की राय में चरागाह भूमि के रूप में या आसपास के गांवों के लिये किसी जलाशय में पीने का पानी एकत्रित करने के लिये अलग रखी गई भूमि के रूप में अपेक्षित नहीं है।

(2) जहां उप-धारा (**1**) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां खुदकाश्त के आवण्टन के लिये दिया गया आवेदन-पत्र नामन्जूर कर दिया जायेगा।

xx xx xx xx xx

Bill No. 3 of 2011

THE RAJASTHAN LAND REFORMS AND RESUMPTION OF JAGIRS (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

———————

A
Bill

further to amend the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952.

———————

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

———————

H. R. KURI,
Secretary.

(HEMA RAM CHAUDHARY, **Minister-Incharge)**

2011 **का विधेयक सं. 3**

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम**, 1952** को और संशोधित करने के लिये विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुडी,
सचिव।

(श्री हेमाराम चौधरी**, प्रभारी मंत्री)**